विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूँछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-07 का उत्तरालेख्य

क्रं0	तारांकित प्रश्न	उत्तर
7(क)	क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जल संस्थान चित्रकूट मण्डल,बांदा में वर्ष 2014 से 2018 के मध्य कराये गये कार्यों के संबंध में प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री का आदेश दिनांक-06.09.2023 प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ?	जी हाँ ।
(ख)	यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?	पत्र में उल्लिखित मेसर्स सौम्या ट्रेडर्स, गवर्नमेन्ट कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर्स, कानपुर द्वारा चित्रकूटधाम मण्डल जल संस्थान के अन्तर्गत किये गये कार्यों के भुगतान के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक निरन्तर फर्म द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान किया जाता रहा है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पत्र संख्या-740/डब्लू-409/(Corr)/2017, दिनांक 24 नवम्बर, 2017 के माध्यम से ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु माह दिसम्बर, 2017 से किसी देयता का भुगतान करने से मना कर दिया गया था, जिसके कारण जल

		संस्थान की वित्तीय स्थिति खराब हो गयी है। वर्तमान में जलसंस्थान के द्वारा ग्रामीण व नगरीय पेयजल योजनाओं का संचालन व अनुरक्षण मात्र जलमूल्य एवं जलकर की वसूली से किया जा रहा है, जो कि पर्याप्त नहीं हो पाता है। प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 06.09.2023 के क्रम में विभाग की वित्तीय स्थिति खराब होने के बावजूद धनराशि रू0-69,38,188/ का भुगतान दिनांक 29.09.2023 से 31.01.2025 तक किया जा चुका है एवं रू0-1,44,00,515/ के बीजक भुगतान हेतु लम्बित हैं, जिनका भुगतान परीक्षणोंपरांत, धन की उपलब्धता के आधार पर शीघ्र करने के निर्देश दिये गये हैं।
(ग)	यदि नही, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता ।

ए0के0 शर्मा
मंत्री,
नगर विकास विभाग।